विशेष आमंत्रित सदस्यः–

1. श्री अनिल कुमार दत्त – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून
2. सुश्री बिनीता शाह – मुख्य कार्यक्रम अधिकारी , उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद देहरादून।
3. श्री ए0के0 गोयल – उपप्रबन्धक – राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी
4. श्री पी0 के मिश्रा– महाप्रबन्धक नाबार्ड

अन्य प्रतिभागी

1. श्री एम0 सी0 जोशी– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव
2. श्री जी0 एस0 गौड–अपर सचिव जड़ीबूटी
3. श्री बी0 पी0 गुप्ता – अपर निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
4. श्री राजीव सैक्सेना सहायक, महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
5. श्री मलकित सिंह सहायक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड।
6. पी0 के0 सिंह– उप परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
7. श्रीमति आशा चौरसिया–अनुसचिव वित्त
8. श्री के0 सी0 पाठक – कृषि विभाग
9. श्री दिलीप चन्द्र आर्य– उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति
10. श्री तरूण अग्रवाल–वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति
11. श्री अनिल जुयाल–उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति
12. श्री ललित कुमार – प्रबन्धक वित्त, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति

बैठक के आरम्भ मे परियोजना निदेशक, आजीविका परियोजना द्वारा सभी उपस्थित सदस्यो का स्वागत किया गया। तदोपरान्त परियोजना स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का ऐजेन्डा कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुत किया गया। बैठक की कार्यसूची के अनुसार उक्त बैठक का कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 03.10.2012 को आयोजित 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project-ILSP)' की राज्य स्तरीय परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 03.10.2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की राज्य स्तरीय परियोजना स्टीयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे स्टीयरिंग कमेटी निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री आर0 बी0 एस0 रावत–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
2. श्री एस0 रामास्वामी–प्रमुख सचिव, नियोजन एवं वन
3. श्री भास्करानन्द – सचिव, जलागम देहरादून
4. श्री विनोद फोनिया – सचिव, ग्राम्य विकास
5. श्री ए0 के0 ढौंडियाल – सचिव, पशुपालन एवं पंचायतीराज
6. श्री अर्जुन सिंह अपर सचिव वित्त,
7. डा0 निधि पाण्डे अपर सचिव, कृषि
8. श्री किशन नाथ अपर सचिव,, औद्योगिक विकास एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी एवं ग्रामाद्योग विकास बोर्ड
9. श्रीमति रेखा पै, मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
10. सुश्री0 ज्योत्सना सितलिंग– परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति।
11. श्री पवन कुमार– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
12. श्री महेन्द्र पाल ओ0 एस0 डी0 उद्यान

		यह भी संकल्पित है कि उक्त कमेटी उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति जो कि वर्तमान मे 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' के संचालन हेतु गठित की गयी है तथा जो 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के घटक –1, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि के कियान्वयन का कार्य करेगी, की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के रूप मे भी कार्य करेगी । इसी प्रकार 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' हेतु गठित उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी, जो 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के घटक –3, आजीविका वित्तपोषण के कियान्वयन का कार्य करेगी, के निदेशक मंडल का भी 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' परियोजना के परिपेक्ष्य मे पुनर्गठन किया जाए। यह भी संकल्पित किया जाता है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध मे आवश्यक शासनादेश जारी करें।"	11 अपर सचिव, पशुपालन — सदस्य 12 परियोजना के सहभागी गैर सरकारी संगठन (NGO) तथा परियोजना के Innovation linkages सहभागी संगठन — विशेष आमंत्रित सदस्य 13 अपर सचिव, पर्यटन — विशेष आमंत्रित सदस्य यह भी संकल्पित किया जाता है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध मे आवश्यक शासनादेश जारी करें।"	
..3	केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) का गठन तथा परियोजना समन्वयक समन्वयक (Project Coordinator) की नियुक्ति	"संकल्पित है कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के अन्तर्गत परियोजना की कियान्वयन संस्थाओ तथा ग्राम्य विकास विभाग/ CPCU के मध्य निष्पादित होने वाले Subsidiary Agreement को निष्पादित करवाने, परियोजना स्टीयरिंग कमेटी (PSC) तथा परियोजना प्रबन्धन कमेटी (PMC) की बैठकें आयोजित करने, परियोजना कियान्वयन संस्थाओ से प्राप्त वार्षिक कार्ययोजना एव बजट (Annual Work Plan & Budget- AWPB) को परियोजना प्रबन्धन कमेटी तथा परियोजना स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन के उपरान्त परियोजना कियान्वयन संस्थाओ के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को आईफैड को प्रेषित करने, उत्तराखण्ड सरकार के बजट के अन्तर्गत परियोजना के बजट का प्रावधान करवाने, परियोजना के वित्तपोषण हेतु मुख्य बैंक खाते का संचालन व परियोजना की कियान्वयन संस्थाओ को बजट धनराशि ससमय उपलब्ध कराने, परियोजना की कियान्वयन संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण, मासिक रिपोर्ट व संबंधित अभिलेख प्राप्त कर ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित करने, परियोजना कियान्वयन संस्थाओ से प्राप्त Withdrawal Application को संकलित कर भारत सरकार के वित्त विभाग के आधीन Controller of Aid, Accounts & Audit(CAAA) को प्रेषित करने, परियोजना कियान्वयन संस्थाओ के वार्षिक अंकेषण को समयान्तर्गत सपन्न करवाना व उनका आईफैड को संप्रेषण करने, परियोजना की कियान्वयन संस्थाओ की अर्द्धवार्षिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का सकंलित कर आईफैड को प्रेषित करने आदि संबंधी कार्यो हेतु केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) का गठन किया जाए, तथा उक्त इकाई के अन्तर्गत परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) के पद का सृजन किया जाय जो एक अंशकालिक पद है व परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के पास उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाए।" यह भी संकल्पित किया जाता है कि सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबध मे आवश्यक कार्यवाही एवं शासनादेश जारी करे।	"संकल्पित है कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के अन्तर्गत परियोजना की कियान्वयन संस्थाओ तथा ग्राम्य विकास विभाग/ CPCU के मध्य निष्पादित होन वाले Subsidiary Agreement को निष्पादित करवाने, परियोजना स्टीयरिंग कमेटी (PSC) तथा परियोजना प्रबन्धन कमेटी (PMC) की बैठकें आयोजित करने, परियोजना कियान्वयन संस्थाओ से प्राप्त वार्षिक कार्ययोजना एव बजट (Annual Work Plan & Budget- AWPB) का परियोजना प्रबन्धन कमेटी तथा परियोजना स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन के उपरान्त परियोजना कियान्वयन संस्थाओ के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को आईफैड को प्रेषित करने, उत्तराखण्ड सरकार के बजट के अन्तर्गत परियोजना के बजट का प्रावधान करवाने, परियोजना के वित्तपोषण हेतु मुख्य बैंक खाते का संचालन व परियोजना की कियान्वयन संस्थाओ को बजट धनराशि ससमय उपलब्ध कराने, परियोजना की कियान्वयन संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय विवरण, मासिक रिपोर्ट व संबंधित अभिलेख प्राप्त कर ग्राम्य विकास विभाग को प्रेषित करने, परियोजना कियान्वयन संस्थाओ से प्राप्त Withdrawal Application को संकलित कर भारत सरकार के वित्त विभाग के आधीन Controller of Aid, Accounts & Audit(CAAA) को प्रेषित करने, परियोजना कियान्वयन संस्थाओ के वार्षिक अंकेषण को समयान्तर्गत संपन्न करवाना व उनका आईफैड को सप्रेषण करने, परियोजना की कियान्वयन सस्थाओं की अर्द्धवार्षिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का सकंलित कर आईफैड का प्रेषित करने आदि सबधी कार्यो हेतु केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) का गठन किया जाए, तथा उक्त इकाई के अन्तर्गत परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) के पद का सृजन किया जाय जो एक अशकालिक पद होगा व परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति को उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाए।" यह भी संकल्पित किया जाता है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबध मे आवश्यक कार्यवाही एव शासनादेश जारी करे।	ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई के गठन तथा उक्त इकाई के अन्तर्गत परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) के अशकालिक पद के सृजन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए व पद सृजन के उपरान्त परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति को उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाए।" कार्यवाही – सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी

1.4	केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) का बैंक खाता खोलने की अनुमति	"संकल्पित है कि केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) का देहरादून के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक /राज्य सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे 'केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई A/C समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Central Project Coordination Unit A/c Integrated Livelihood Support Project)' के नाम से बैंक खाता खोला जाएगा।" यह भी संकल्पित किया जाता है कि उक्त खाते का संचालन केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) के परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) तथा वित्त नियंत्रक (Finance Controller) के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।" यह भी संकल्पित किया जाता है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध मे आवश्यक शासनादेश जारी करें।"	"संकल्पित है कि केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) के देहरादून के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक /राज्य सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे 'केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई A/C समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Central Project Coordination Unit A/c Integrated Livelihood Support Project)' के नाम से **बैंक खाता खोलने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा तदोपरान्त बैंक खाता खोलने के संबंध मे शासनादेश जारी किया जाए** यह भी संकल्पित किया जाता है कि उक्त खाते का संचालन केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) के परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) तथा वित्त नियंत्रक (Finance Controller) के द्वारा सयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।" यह भी संकल्पित किया जाता है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध मे आवश्यक शासनादेश जारी करें।"	केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) का बैंक खाता खोलने के लिये वित्त विभाग से स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तदोपरान्त बैंक खाता खोलने के संबंध मे शासनादेश जारी किया जाए। कार्यवाही – सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी तथा परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति।
1.5	परियोजना के वर्ष 2012–13 के वार्षिक कार्ययोजना व बजट का अनुमोदन	"संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की वार्षिक कार्ययोजना का संज्ञान लिया गया तथा रू0 22.525 करोड़ (रू0 बाईस करोड बावन लाख पचास हजार मात्र) का वार्षिक कार्ययोजना व बजट का अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा इसे अर्न्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) को सहमति हेतु प्रेषित किया जाए।"	"संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की वार्षिक कार्ययोजना का संज्ञान लिया गया तथा रू0 22.525 करोड़ (रू0 बाईस करोड बावन लाख पचास हजार मात्र) का वार्षिक कार्ययाजना व बजट का अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा इसे अर्न्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) को सहमति हेतु प्रेषित किया जाए।"	पारित प्रस्ताव के अनुसार परियोजना के वित्तीय वर्ष 2012 13 की रू0 22.525 करोड (रू0 बाईस करोड बावन लाख पचास हजार मात्र) की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना व बजट को IFAD की सहमति हेतु प्रेषित किया जाए। कार्यवाही – परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति।
1.6	'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की उपार्जन सम्बधी गतिविधियों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 (Uttrakhand Procurement Rules-2008 को 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' परियोजना की आवश्यकतानुसार शिथिलीकरण प्रावधानों के साथ अंगीकृत किए जाने हेतु।	"संकल्पित है कि परियोजना अन्तर्गत उपार्जन गतिविधियों हेतु UPR-2008 को संलग्नक 8 पर रक्षित शिथिलीकरण प्रावधानों के साथ लागू करने हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाए व तत्पश्चात इसे लागू किया जाए।" यह भी संकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त संसोधनों पर वित्त विभाग का अनुमोदन लेते हुए आवश्यक शासनादेश जारी करें।"	**"परियोजना के अप्रेजल डाक्यूमेंट मे अधिप्राप्ति सें संबंधित प्राविधानों तथा आईफैड की Procurement Guidelines के परिपेक्ष्य मे यथा आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 मे यथोचित शिथिलीकरण हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुये समुचित शासनादेश जारी किया जाए।"**	अधिप्राप्ति संबंधी प्राविधानो के शिथिलीकरण हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर शासनादेश जारी किया जाए। कार्यवाही – सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी तथा परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति।

1.7	परियोजना स्टीयरिंग कमेटी मे सचिव खाद्य एव नागरिक आपूर्ति को सदस्य के रूप मे सम्मिलित करने हेतु	"संकल्पित है कि परियोजना गतिविधियों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के साथ अभिसरण हेतु परियोजना स्टीयरिंग कमेटी मे सचिव खाद्य एव नागरिक आपूर्ति को सदस्य के रूप मे नामित किया जाता हैं।" यह भी सकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध में हुए आवश्यक शासनादेश जारी करें।"	परियोजना निदेशक, आजीविका परियोजना द्वारा सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के साथ सचिव, पर्यटन को भी परियोजना स्टीयरिंग कमेटी मे शामिल करने हेतु सुझाव दिया गया।उक्त के कम मे उपस्थि सदस्यों की सहमति के उपरान्त निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया:– "संकल्पित है कि परियोजना गतिविधियों के खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के साथ अभिसरण हेतु परियोजना स्टीयरिंग कमेटी में सचिव खाद्य एव नागरिक आपूर्ति व परियोजना की पर्यटन गतिविधियो मे अभिसरण हेतु सचिव, पर्यटन को सदस्यों के रूप मे नामित किया जाता है।" यह भी संकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी करें।"	परियोजना स्टीयरिंग कमेटी मे सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व सचिव पर्यटन को सदस्यों के रूप मे नामित करने हेतु शासनादेश जारी किया जाए। कार्यवाही– सचिव ग्राम्यविकास, उत्तराखण्ड शासन एव सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी
1.8	परियोजना की कार्यदायी संस्था केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) में राज्य सरकार के आहरण एवं वितरण अधिकारी (Drawing & Disbursment officer) को वित्त नियन्त्रक के रूप मे प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु	"सकल्पित है कि केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) अन्तगत वित्त नियन्त्रक के पद पर नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन से होगी व वित्त नियन्त्रक द्वारा DDO अधिकारों के अर्न्तगत धनराशि, देहरादून कोषागार से आहरण किए जाने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाए।" यह भी संकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध मे कार्यवाही करते हुये संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर शासनादेश जारी करें।"	"संकल्पित है कि केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) के गठन के पश्चात उक्त इकाई के अन्तर्गत वित्त नियंत्रक के पद का सृजन किया जाए तथा उक्त पद पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया जाए। CPCU स्तर से सीधे धनराशि कोषागार से आहरण करने के सम्बन्ध मे वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।" यह भी संकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के संबंध मे कार्यवाही करते हुये यथाआवश्यक शासनादेश जारी करें।"	केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU) के गठन के पश्चात उक्त इकाई के अन्तर्गत वित्त नियत्रक के पद का सृजन किया जाए तथा उक्त पद पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा CPCU के स्तर पर धनराशि सीधे कोषागार से आहरण करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श हेतु प्रस्ताव भेजा जाए। कार्यवाही – सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन एव सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी तथा परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति।
..9	'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति व उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के अधिकारियों की वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का अनुमोदन	सकल्पित है कि सलग्नक 9 पृष्ट स0 01 से 06 पर रोक्षत परियोजना की कार्यदायी संस्थाओ केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के अधिकारियों की वित्तीय एव प्रशासनिक अधिकारो का अनुमोदन किया जाता है। यह भी संकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त केसंबंध मे शासनादेश जारी करें।"	"सकल्पित है कि 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' म लागू प्रशासनिक एव वित्तीय अधिकारो को 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की आवश्यकतानुसार सशोधित करते हुये परियोजना की कार्यदायी संस्थाओ केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के अधिकारियो के **प्रस्तावित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो को अनुमोदन हेतु वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाए** एवं तदोपरान्त वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित/संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो को परियोजना मे लागू करने हेतु सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से शासनादेश जारी किया जाए।"	परियोजना की कार्यदायी संस्थाओ केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी के अधिकारियो के प्रस्तावित वित्तीय एव प्रशासनिक अधिकारो को अनुमोदन हेतु वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाए एव तदोपरान्त वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित/संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारो को परियोजना मे लागू करने हेतु सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से शासनादेश जारी किया जाए।" कार्यवाही – सचिव ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन एव सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी तथा परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति।

.10	परियोजना के विकासखण्डो व लक्षित परिवारो मे संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन	"संकल्पित है कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदन पत्र के अन्तर्गत दिये गये विकासखण्डो के अतिरिक्त अल्मोडा जनपद के भैंसियाछाना, धौलादेवी व लम्बगडा विकासखण्ड, बागेश्वर जनपद का कपकोट विकासखण्ड, टिहरी जनपद के देवप्रयाग व प्रतापनगर विकासखण्ड, व उत्तरकाशी जनपद के डुण्डा व पुरोला विकासखण्ड को भी लक्षित विकासखण्डो मे शामिल करते हुये परियोजना अन्तर्गत कुल 64,175 परिवारो (सलंग्नक 10 पृष्ट सं0 06)को आच्छादित किया जाए।" यह भी सकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त केसंबध मे आवश्यक कार्यवाही करे।"	"संकल्पित है कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के परियोजना अनुमोदन पत्र मे दिये गये विकासखण्डो के अतिरिक्त **उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा कियान्वित घटक –1 (खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि) तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी द्वारा कियान्वित घटक –3 (आजविका वित्तपोषण) के अन्तर्गत** अल्मोडा जनपद के भैंसियाछाना, धौलादेवी व लम्बगडा विकासखण्ड, बागेश्वर जनपद का कपकोट विकासखण्ड, टिहरी जनपद के देवप्रयाग व प्रतापनगर विकासखण्ड, व उत्तरकाशी जनपद के डुण्डा व पुरोला विकासखण्ड को भी लक्षित विकासखण्डो मे शामिल करते हुये कुल 64,175 परिवारो (सलग्नक 10 पृष्ट स0 06) को आच्छादित किया जाएगा ।" यह भी सकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त के सबध म आवश्यक शासनादेश जारी करे।"	लक्षित विकासखण्डो व परिवारो के संशोधन के संबंध मे आवश्यक शासनादेश जारी किया जाए। कार्यवाही – सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एव सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी
.11	परियोजना निदेशक हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना को उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति मे 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' का परियोजना निदेशक नियुक्त करने विषयक	"सकल्पित है कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत रू0 37400 - 67000 (ग्रेड पे 10,000) मे प्रतिनियुक्ति पर 'परियोजना निदेशक– समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के पद का सृजन किया जाए तथा अग्रिम आदेशो तक 'परियोजना निदेशक - हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' को उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाए।" यह भी संकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त केसंबध मे कार्यवाही करते हुये संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर शासनादेश जारी करे।"	"सकल्पित है कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर 'परियोजना निदेशक– समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के पद का सृजन वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर किया जाए तथा अग्रिम आदेशो तक 'परियोजना निदेशक - हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' को उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाए।" यह भी संकल्पित है कि सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन उक्त केसंबंध मे कार्यवाही करते हुये शासन से अनुमोदन प्राप्त कर शासनादेश जारी करे।"	'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर 'परियोजना निदेशक समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के पद के सृजन वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर किया जाए तथा अग्रिम आदेशो तक 'परियोजना निदेशक हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' को उक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाए।" कार्यवाही – सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एव सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी
.12	हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति तथा, उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी मे वर्तमान मे कार्यरत कर्मचारियों को समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत परियोजना की कियान्वयन इकाईयो– उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई तथा, उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी मे अनुबन्ध विस्तार देने हेतु अनुमोदन	"संकल्पित है कि 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी मे कार्यरत कर्मचारियों को उनके वर्तमान मानदेय पर उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की कार्यदायी संस्थाओ केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी तथा उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति मे सृजित किये जाने वाले पदा पर अनुबन्ध विस्तार दिया जायगा तथा परियाजना प्रबन्धन कमेटी को उक्त अनुबन्ध विस्तार के अनुमोदन हेतु अधिकृत किया जाता है। यह भी संकल्पित है कि परियोजना निदेशक - हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना, उक्त के सबध मे समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की कार्यदायी सस्थाओ केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी तथा उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति मे पदो के सृजन के 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' म कार्यरत सविदारत कर्मिया क 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' म अनुबन्ध विस्तार के संबध म विस्तृत विवरण परियोजना प्रबन्धन कमेटी म प्रस्तुत कर परियोजना प्रबन्धन कमेटी का अनुमोदन प्राप्त कर।"	'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की कार्यदायी संस्थाओं मे वित्त विभाग की सहमति से पदों का सृजन किया जाए। 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' अप्रैल 2012 मे प्रारम्भ हो चुकी है। परन्तु इसके साथ ही प्रथम चरण की परियोजना 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' मार्च 2013 तक लागू है। अतः वर्तमान मे दोनो परियोजनाए overlapping फेज से गुजर रही है। इस स्थिति मे 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' का वर्तमान स्टाफ ही 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के कार्यों का भी निर्वहन कर रहा है। उक्त परिपेक्ष्य मे 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' के समयबद्ध समापन तथा 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की सुचारू शुरूआत के मद्दनजर वर्तमान कार्यरत कर्मियो को आवश्यकतानुसार 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' म रखे जाने हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाए।	'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' मे पदो के सृजन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाए तथा 'हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना' के समयबद्ध समापन तथा 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की सुचारू शुरूआत के मद्देनजर वर्तमान कार्यरत कर्मियों को आवश्यकतानुसार 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' मे रखे जाने हेतु नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाए। कार्यवाही सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एव सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति एव प्रबन्ध निदेशक उपासक।

.13	जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत परियोजना की कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई मे ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना के बैंक खाते खोलने हेतु अनुमोदन	"संकल्पित है कि 'उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई' द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project)' के नाम से बैंक खाते खोले जायेंगे।" यह भी संकल्पित किया जाता है कि उक्त खातों का सचालन संबधित प्रधान ग्राम पंचायत तथा एक महिला वार्ड सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। ग्राम पंचायत की प्रधान महिला होने की स्थिति मे खाते का संचालन ग्राम प्रधान तथा एक पुरूष वार्ड सदस्य द्वारा किया जायेगा " यह भी संकल्पित किया जाता है कि सचिव, पचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन उक्त के सबंध मे आवश्यक शासनादेश जारी करें।	"संकल्पित है कि 'उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई' द्वारा ग्राम पचायत स्तर पर 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project)' के नाम से बैंक खाते खोले जाने हेतु प्रस्ताव शासन को अनुमादन हेतु प्रेषित किया जाए। यह भी सकल्पित है कि उक्त खातो का संचालन संबधित ग्राम पंचायत के प्रधान तथा एक महिला वार्ड सदस्य के सयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान महिला होने की स्थिति मे खातें का संचालन ग्राम प्रधान तथा एक पुरूष वार्ड सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा। अनुमोदन के उपरान्त सचिव, पचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन उक्त के सबध मे आवश्यक शासनादेश जारी करे।"	'उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई' द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के बैंक खाते खोले जाने एव सचालन हेतु प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाए। कार्यवाही मुख्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड जलागम प्रबन्ध निदेशालय
.14	परियोजना का घटक – 2 सहभागी जलागम प्रबन्ध केकियान्वयन हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय केअन्तर्गत गठित सोसायटी उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई मे राज्य स्तर, मंडल स्तर व जिला स्तर पर कार्यालय खोलने हेतु अनुमोदन	"संकल्पित हे कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियाजना' के घटक –2 के कियान्वयन हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत कार्यसूची PSC:1.14 मे वर्णित राज्य, मंडल व जिला स्तर पर 'उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई' के कार्यालय खोले जाए ।" यह भी सकल्पित किया जाता है कि सचिव, जलागम उक्त के सबध मे आवश्यक शासनादेश जारी करें।	"संकल्पित हे कि 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के घटक –2 के कियान्वयन हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत कार्यसूची **PSC:1.14 मे वर्णित राज्य, मंडल व जिला स्तर पर 'उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई' के कार्यालय खोलने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त किया जाए** तथा अनुमोदन के उपरान्त सचिव, जलागम उक्त के सबध मे आवश्यक शासनादेश जारी करे ।"	जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई मे राज्य, मंडल व जिला स्तर पर कार्यालय खोलने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए कार्यवाही मुख्य परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड जलागम प्रबन्ध निदेशालय
.15	जलागम प्रबन्ध निदेशालय मे 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' के अन्तर्गत राज्य कर्मियों के वेतन के लिये नये बजट शीर्षक का प्राविधान	"संकल्पित है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु राज्य कर्मियो के वेतन भुगतान हेतु कृषि विभाग के बजट के अन्तर्गत ट्रेजरी के माध्यम से नये बजट लेखा शीर्षक का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2013–14 से किया जाएगा ।"	"संकल्पित है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु राज्य कर्मियो के वेतन भुगतान हेतु कृषि विभाग के बजट के अन्तर्गत ट्रेजरी के माध्यम से नये बजट लेखा शीर्षक का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2013–14 से किया जाएगा ।"	जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' हेतु राज्य कर्मियो के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 से नये बजट लेखा शीर्षक के कृषि विभाग के अन्तर्गत प्राविधान हेतु वित्त विभाग को कमशः सचिव जलागम एवं सचिव कृषि के माध्यम से पत्र निर्गत किया जाए सचिव जलागम एवं सचिव कृषि तथा मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
16	माननीय ग्राम्य विकास मंत्रीजी की अध्यक्षता मे परियोजना की अनुश्रवण कमेटी गठित करने हेतु अनुमोदन	"संकल्पित है कि माननीय विभागीय मंत्रीजी से उनकी अध्यक्षता मे परियोजना की अनुश्रवण कमेटी गठित करने हेतु तथा उक्त कमेटी मे प्रमुख सचिव एव आयुक्त, वन एव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को उपाध्यक्ष के रूप मे तथा सचिव ग्राम्य विकास व सचिव जलागम को सदस्य के रूप मे नामित करने हेतु सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्रीजी से निवदन किया जाए।"	"संकल्पित है कि माननीय विभागीय मंत्रीजी से उनकी अध्यक्षता मे परियोजना की अनुश्रवण कमेटी गठित करने हेतु तथा उक्त कमेटी मे प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को उपाध्यक्ष के रूप मे तथा सचिव ग्राम्य विकास व सचिव जलागम को सदस्य के रूप मे नामित करने हेतु IFAD की सहमति प्राप्त की जाए व सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्रीजी से निवेदन किया जाए। अनुश्रवण कमेटी मे भविष्य मे कोई भी परिवर्तन IFAD की सहमति से ही किया जाएगा।"	अनुश्रवण कमेटी गठित करने हेतु सचिव ग्राम्य विकास के माध्यम से माननीय विभागीय मंत्रीजी से निवेदन किया जाए कार्यवाही सचिव ग्राम्य विकास

..17	अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा सें परियोजना की प्रभावी सूचना तंत्र प्रणाली तथा प्रभावी अंकेक्षण प्रणाली तैयार करने व ग्रामीणो की आर्थिकी को मजबूत बनाने के संबध मे	अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना मे पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये निर्देशित किया गया कि परियोजना मे प्रभावी सूचना तंत्र प्रणाली (Management information Sysem) तथा प्रभावी अंकेक्षण प्रणाली (Audit System) तैयार किया जाए। परियोजना के अन्तर्गत अन्तिम लक्षित परिवारो तक पहुच बनायी जाए व ग्रामीणो की आर्थिकी को परियोजना की विभिन्न मूल्य श्रृखलाओ (Value chains) के माध्यम से प्रभावी रूप से धरातल पर मजबूत बनाया जाए	अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना मे पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये निर्देशित किया गया कि परियोजना मे प्रभावी सूचना तंत्र प्रणाली (Management information Sysem) तथा प्रभावी अंकेक्षण प्रणाली (Audit System) तैयार किया जाए। परियोजना के अन्तर्गत अन्तिम लक्षित परिवारो तक पहुच बनायी जाए व ग्रामीणो की आर्थिकी को परियोजना की विभिन्न मूल्य श्रृखलाओ (Value chains) के माध्यम से प्रभावी रूप से धरातल पर मजबूत बनाया जाए	परियोजना हेतु प्रभावी सूचना तंत्र प्रणाली (Management information Sysem) तथा प्रभावी अंकेक्षण प्रणाली (Audit System) तैयार कर स्टीयरिंग कमेटी की अगली बैठक मे प्रस्तुत किया जाए। परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति तथा मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय

बैठक के अन्त मे परियोजना निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा मुख्य सचिव महोदय व अन्य उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यो का धन्यवाद किया गया । उक्त के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय की आज्ञा से बैठक का समापन किया गया।

(विनोद फोनिया)
सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
एवं
सचिव परियोजना स्टीयरिंग कमेटी,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
एवं
अध्यक्ष परियोजना स्टीयरिंग कमेटी,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना

Chief Secretary,
Govt. of Uttarakhand